



Helpline

1064



94135-02834

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- बाड़मेर में पटवारी 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 28 जुलाई। एसीबी. मुख्यालय के निर्देश पर जैसलमेर इकाई द्वारा आज गुरुवार को बाड़मेर में कार्यवाही करते हुये रतनलाल राजस्व पटवारी पटवार हल्का बीसूकला, तहसील शिव, जिला बाड़मेर को परिवादी से 4 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी. की जैसलमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कृषि भूमि का नामान्तरण खोलने की एवज में रतनलाल राजस्व पटवारी, पटवार हल्का बीसूकला, तहसील शिव, जिला बाड़मेर द्वारा 5 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जैसलमेर के उप अधीक्षक पुलिस श्री अन्नराज के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रैप कार्यवाही करते हुये रतनलाल पुत्र श्री लालाराम जाट निवासी मकान नं. 142, गली नं. 6, पल्लू जिला हनुमानगढ़ हाल राजस्व पटवारी पटवार हल्का बीसूकला, तहसील शिव, जिला बाड़मेर को परिवादी से 4 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की एसीबी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कार्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।